न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS
धार्मिक एन्यूटी प्रा0 पत्र सं0 02/2020

मंदिर श्री गोपाल जी स्थित वाके ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर जरिये पुजारी श्री प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास चेला नेमीचंद उर्फ नेमीदास, निवासी ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 सपठित राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 बाबत् मंदिर श्री गोपाल जी स्थित वाके ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील–आमेर के पुजारी श्री देवीदास चेला श्री मोतीदास की मृत्यु के पश्चात् उनके वर्तमान वारिसान प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास स्वामी चेला नेमीचंद उर्फ नेमीदास को एन्यूटी प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने बाबत्)

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांक : 28.07.2021**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंदिर श्री गोपाल जी स्थित वाके ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील–आमेर के पूर्व पुजारी देवीदास चेला मोतीदास का स्वर्गवास वर्ष 1992 में हो चुका है। उनके पश्चात् उनके वारिस छोटूदास का स्वर्गवास वर्ष 1996 में तथा छोटूदास के वारिस नेमीचंद उर्फ नेमीदास का स्वर्गवास वर्ष 2002 में हो चुका है। उक्त पूर्व पुजारियों की मृत्यु पश्चात् प्रार्थी प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास उक्त मंदिर श्री गोपाल जी की निरन्तर सेवा पूजा करता आ रहा है। मंदिर श्री गोपाल जी के नाम ग्राम नांगल सुसावतान में आराजी ख0नं0 774 रकबा 0.73 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी, आमेर एवं तहसीलदार, आमेर ने भी प्रार्थी को मंदिर श्री गोपाल जी का पुजारी माना है। पूर्व पुजारी देवीदास चेला मोतीदास के बाद कोई भी विधिवत् रूप से उनका उत्तराधिकारी घोषित नही हुआ है। अतः मंदिर श्री गोपाल जी वाके ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर के पूर्व पुजारी देवीदास चेला मोतीदास के स्थान पर प्रार्थी प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास चेला नेमीचंद उर्फ नेमीदास को मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति)

बहेसियत उत्तराधिकारी/पुजारी होने के कारण वह प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) स्वीकृति का निर्णय बहेसियत उत्तराधिकारी /पुजारी प्रार्थी के पक्ष में जारी करने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रकरण में तहसीलदार, आमेर से मंदिर की सेवा पूजा एवं भोगराग की राशि एन्यूटी पाने का जायज अधिकारी की सूचना प्राप्त की गई तथा प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मय टिप्पणी के चाही गई एवं नोटिस अन्तर्गत नियम 39(3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 जारी किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी की स्वयं की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मंदिर श्री गोपाल जी स्थित वाके ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील–आमेर की पूजा पूर्व पुजारी देवीदास चेला मोतीदास का स्वर्गवास वर्ष 1992 में हो चुका है। उनके पश्चात् उनके वारिस छोटूदास का स्वर्गवास वर्ष 1996 में तथा छोटूदास के वारिस नेमीचंद उर्फ नेमीदास का स्वर्गवास वर्ष 2002 में हो चुका है। उक्त पूर्व पुजारियों की मृत्यु पश्चात् प्रार्थी प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास उक्त मंदिर श्री गोपाल जी की निरन्तर सेवा पूजा करता आ रहा है। मंदिर श्री गोपाल जी के नाम ग्राम नांगल सुसावतान में आराजी ख0नं0 774 रकबा 0.73 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तहसीलदार, आमेर ने पत्रांक 10203 दिनांक 16.12.2020 प्रेषित कर प्रार्थी को मंदिर श्री गोपाल जी का पुजारी माना है। पूर्व पुजारी देवीदास चेला मोतीदास के बाद कोई भी विधिवत् रूप से उनका उत्तराधिकारी घोषित नही हुआ है। प्रार्थी स्व0 नेमीचंद शर्मा उर्फ नेमीदास का पुत्र है तथा प्रार्थी के अलावा उसके दो भाई कल्याण सहाय एवं कांतिचंद तथा तीन बहन प्रेम देवी, रतन देवी और शांती देवी है। प्रार्थी के दोनों भाईयों एवं तीनों बहनों ने प्रार्थी के पक्ष में 50–50 रूपयें के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र/सहमति पत्र के द्वारा प्रार्थी को मंदिर गोपाल जी की सेवा पूजा का अधिकार प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास चेला/पुत्र स्व0 नेमीचंद उर्फ नेमीदास को देने की पूर्ण सहमति दी गई है तथा उनके द्वारा उनके हिस्से का त्याग प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास के पक्ष में किया गया है।

प्रार्थी देवीदास चेला मोतीदास का उत्तराधिकारी/वारिसान होने के कारण वह एन्यूटी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः मंदिर श्री गोपाल जी की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) बहेसियत उत्तराधिकारी/पूजारी प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित कर आदेश जारी करे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई है :–

1. तहसीलदार, आमेर द्वारा स्वीकृति आदेश क्रमांक आर.ए./2019/135 दिनांक 08.02.2019 द्वारा प्रार्थी को मंदिर के पुजारी की हैसियत से मंदिर की भूमि के संरक्षक के रूप में नियमानुसार लाभ/सुविधाऐं हेतु अनुमत/प्राधिकृत होने की स्वीकृति।
2. ग्राम पंचायत नांगल सुसावतान का प्रमाण पत्र क्रमांक नांगल सुसावतान/2011/SPLI दिनांक 05.01.2011 जिसके द्वारा प्रभुदयाल शर्मा पुत्र श्री नेमीचंद शर्मा को मंदिर गोपाल जी के मुख्य पैतृक पुजारी होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
3. ग्रामवासियों द्वारा श्री प्रभुदयाल पुत्र नेमीचंद शर्मा को मंदिर श्री गोपाल जी का पुजारी होने का प्रमाण पत्र की प्रति।
4. मृत्यु प्रमाण पत्र श्री नेमीचंद शर्मा पुत्र श्री छोटीलाल शर्मा मृत्यु दिनांक 20.07.2002
5. सरपंच ग्राम पंचायत नांगल सुसावतान द्वारा दिनांक 20.08.2002 को जारी कुर्सीनामा
6. प्रपत्र 12 ए सं0 110 दिनांक 30.07.1969 एवं प्रपत्र 12 ख क्रमांक 324 दिनांक 24.02.1970 की प्रतियां।
7. उपखण्ड अधिकारी, आमेर के न्यायालय में दायर वाद सं0 152/2005 उनवानी मंदिर माफी ठाकुर जी गोपाल जी बनाम रामकिशन वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2010 की प्रति।

प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंध में मूल पत्रावली प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया था, जिसके संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा द्वारा पत्रांक जागीर/2021/53 दिनांक 26.07.2021 द्वारा माफी मंदिर श्री गोपाल जी स्थित ग्राम नागल सुसावतान के संबंध में उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की प्रति संलग्न प्रेषित की गई है। जागीर रजिस्टर के क्रम सं0 279 पर देवीदास पुत्र मोतीदास का नाम अंकित है। इस कार्यालय द्वारा नोटिस अन्तर्गत नियम 39(3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण नियम, 1954 संबंधित को जारी किये गये थे। निर्धारित अवधि के बाद भी किसी भी पक्ष की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

तहसीलदार, आमेर से एन्यूटी प्रार्थना पत्र के संबंध में बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई जिसके संदर्भ में तहसीलदार, आमेर द्वारा उनके पत्रांक भू.अ./20/10203 दिनांक 16.12.2020 एवं भू.अ./21/2725 दिनांक 26.04.2021 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया है कि मृतक पुजारी स्व0 देवीदास चेला मोतीदास इसके बाद स्व0 छोटूदास चेला देवीदास, इसके बाद स्व0 नेमीदास चेला छोटूदास इसके बाद पुजारी प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास चेला नेमीचंद उर्फ नेमीदास जायज वारिस है एवं मंदिर की सेवा पूजा

करते आ रहे है। भोगराग की राशि एन्यूटी पाने का जायज वारिस हकदार पुजारी प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास चेला श्री नेमीचंद उर्फ नेमीदास, निवासी–ग्राम नांगलसुसावतान, तहसील आमेर, जिला–जयपुर है। तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./21/2725 दिनांक 26.04.2021 में अंकित किया है कि कल्याण सहाय उर्फ कल्याणदास, कांतिचंद उर्फ कांतिदास चेला/पुत्र श्री नेमीचंद उर्फ नेमीदास, प्रेम देवी, शांतीदेवी, रतन देवी पुत्रियान नेमीचंद के अनुसार उक्त सभी के पिता नेमीचंद के जीवनकाल में ही मंदिर की सेवा पूजा करने का अधिकार बडे पुत्र प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास को दे दिया गया था एवं पिता नेमीचंद की मृत्यु उपरान्त रिती रिवाज के अनुसार उनके बडे भाई प्रभूदयाल उर्फ प्रभूदास के ही चादर डाली गई थी। सभी भाई–बहनों ने सेवा–पूजा का अधिकार बडे भाई प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास को ही बनना बताया है और इससे सहमति जाहिर की है और अपने हिस्से का त्याग प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास के हिस्से में करने के शपथ पत्र भी प्रेषित किये गये है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मंदिर की सेवा–पूजा करने का अधिकार नेमीचंद उर्फ नेमीदास का बडा पुत्र प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास ही उत्तराधिकारी है।

पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार, आमेर से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि पुजारी स्व0 देवीदास चेला मोतीदास के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी स्व0 छोटूदास चेला देवीदास थे। श्री छोटूदास के निधन के बाद स्व0 नेमीदास चेला छोटूदास उत्तराधिकारी थे। श्री नेमीचंद उर्फ नेमीदास चेला छोटूदास की मृत्यु के बाद उनके पुत्र एवं पुजारी प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास चेला नेमीचंद उर्फ नेमीदास जायज वारिस है एवं ये ही नेमीदास की मृत्यु होने के पश्चात् मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे है। भोगराग की राशि एन्यूटी पाने का जायज वारिस एवं हकदार पुजारी प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास चेला श्री नेमीचंद उर्फ नेमीदास, निवासी–ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला–जयपुर है। नेमीचंद उर्फ नेमीदास के सभी पुत्र–पुत्रियों ने अपना हक त्याग एवं मंदिर की सेवा–पूजा का अधिकार प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास को दे दिया है। इस संबंध में उनके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। मंदिर की चादर की रस्म में भी नेमीचंद उर्फ नेमीदास की मृत्यु होने पर प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास पर ही चेले की चादर डालकर उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। अतः मंदिर श्री गोपाल जी वाके ग्राम नागल सुसावतान का उत्तराधिकारी श्री प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास पुत्र एवं चैला नेमीचंद उर्फ नेमीदास को घोषित करने एवं एन्यूटी राशि स्वीकृत करने में उन्हे कोई एतराज नही है। निर्धारित एन्यूटी राशि प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत की जावें।

हमनें उभयपक्षों के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। सरपंच ग्राम पंचायत नागल सुसावतान द्वारा क्रमांक 45 दिनांक 20.08.2002 को जारी किये गये कुर्सीनामे के अनुसार दिनांक 20.07.2002 को नेमीचंद पुत्र छोटेलाल का देहान्त होने पर उनके वारिस प्रभुदयाल, कल्याण सहाय, कांतीचंद पुत्रान् नेमीचंद तथा प्रेम, रतन, शांति पुत्रियान् नेगीचंद है। उक्त सभी पांचों भाई–बहनों ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर ज्येष्ठ पुत्र एवं वरिष्ठ भाई प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास के पक्ष में अपना हक–त्याग एवं पूजा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तहसीलदार, आमेर द्वारा रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./20/10203 दिनांक 16.12.2020 प्रेषित कर अवगत कराया है कि पुजारी स्व0 श्री देवीदास चेला मोतीदास के बाद छोटूदास चेला देवीदास के बाद नेमीदास चेला छोटूदास के बाद प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास चेला नेमीचंद उर्फ नेमीदास जायज वारिस है। ये मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे है। वर्तमान में मंदिर की सेवा पूजा प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास चेला नेमीचंद उर्फ नेमीदास द्वारा की जा रही है। तहसीलदार, आमेर के पत्रांक भू.अ./21/2725 दिनांक 26.04.2021 प्रेषित कर पत्र के संलग्न नेमीचंद उर्फ नेमीदास के पुत्र–पुत्रियों द्वारा प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास के पक्ष में मंदिर की सेवा–पूजा के अधिकार का हक त्याग के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। तहसीलदार द्वारा अपनी दोनों रिपोर्ट में मंदिर की सेवा–पूजा करने का अधिकार नेमीचंद उर्फ नेमीदास के बडे पुत्र प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास को उत्तराधिकारी माना है तथा भोगराग की एन्यूटी राशि प्राप्त करने का हकदार भी प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास को ही माना गया है। देव स्थान विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र 12 क एवं 12 ख दिनांक 24.02.1970 को तत्कालीन पुजारी देवीदास के पक्ष में जारी हुए है। इसके पश्चात् प्रपत्र 12 क एवं 12 ख जारी नही होना पाया गया है। जागीर शाखा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जागीर रजिस्टर में भी देवीदास पुत्र मोतीदास का ही अंकन है। देवीदास पुत्र मोतीदास के पश्चात् के किसी भी वारिसान के पक्ष में प्रपत्र 12 क व 12 ख जारी नही हुआ है।

इस न्यायालय द्वारा नोटिस अन्तर्गत 39 (3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण नियम, 1954 जारी किया गया था। नोटिस के संबंध में 30 दिवस पश्चात् भी कोई आपत्ति इस न्यायालय को प्राप्त नही हुई है।

अतः उक्त विवेचनानुसार तहसीलदार, आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार मंदिर श्री गोपाल जी वाके ग्राम नागल सुसावतान तहसील आमेर की एन्यूटी राशि के लिए देवीदास पुत्र मोतीदास के पश्चात् वर्तमान पीढी के प्रभुदयाल उर्फ प्रभूदास पुत्र एवं चेला नेमीचंद उर्फ नेमीदास को पूर्व में घोषित एवं निर्धारित एन्यूटी राशि प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

28.7.21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (जयपुर)।
जयपुर